



E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
IJAAS 2019; 1(1): 189-191
Received: 18-05-2019
Accepted: 22-06-2019

मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

अपराध और उसके कारण

मिहीर कुमार झा

सारांश

अपराध एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए अप्रिय और हानिकारक होता है। अपराध एक सर्वकालिक और सार्वभौमिक घटना है। अपराधों के प्रकार जानने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि अपराध क्या है? व्यक्ति अपराध क्यों करता है? अर्थात् अपराध के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं। अपराध का कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं। अपराध के कारणों पर आज भी अनुसंधान जारी है। बहुत से विद्वान अपराध के लिए व्यक्ति एवं परिस्थिति को जिम्मेवार ठहराते हैं। जबकि कुछ विद्वान अपराध के लिए समाज एवं व्यक्ति दोनों को ही अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी मानते हैं। इस सब के अतिरिक्त मानसिक कारणों को भी अपराध का कारण माना जाता है।

प्रस्तावना

समाज के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। उसी तरह धर्म, नैतिकता तथा न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। समयानुसार अपराधों की परिभाषा में भी परिवर्तन आता है। प्राचीन काल में कन्या का मन्दिर में नाचना तथा अपना सारा जीवन पंडित, पुजारियों की मौज-मस्ती के लिए सौंप देना बुरा नहीं माना जाता था। आज समाज और कानून इसे अपराध की संज्ञा देता है। प्राचीन-काल में अस्पृश्यता अनुचित न थी, परन्तु आज संविधान इसे अपराध मानता है। आदिकाल से अपराध होते आये हैं। झूठा बोलना, भूखे को खाना व प्यासे को पानी न देना, बीमार की सेवा न करना, अपने से बड़ों की सेवा न करना, पाप हो सकते हैं, पर अपराध नहीं माने जा सकते। अपराध की परिभाषा के गठन में अपराध शास्त्री, विधिवेत्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने अपराध तथा अपराधियों के विषय में निम्न बातें कही हैं-

अपराध का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर सदरलैंड के विचार

1. साधारण अपराध।
2. जघन्य अपराध।

लेमर्ट के विचार

1. परिस्थिति मूलक अपराध।
2. नियमित व सुव्यस्थित अपराध।

बेंगर के विचार

1. आर्थिक अपराध।
2. यौन सम्बन्धी अपराध।
3. राजनीतिक अपराध।
4. विविध अपराध।

विलनार्ड और क्वीनो के विचार

1. हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध।
2. सम्पत्ति सम्बन्धी आक्रामक अपराध।
3. व्यावसायिक अपराध।
4. राजनीतिक अपराध।
5. सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध।
6. परम्परागत अपराध।
7. संगठित अपराध।

Corresponding Author:

मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

8. पेशेवर अपराध।

सांख्यिकीय आधार पर

1. व्यक्ति के विरुद्ध अपराध।

अन्य आधार पर

1. संगठित और असंगठित अपराध
2. व्यक्तिगत और सामाजिक अपराध।

अपराधियों का वर्गीकरण**अपराध सिद्धि के आधार पर****पॉल टैपन**

1. वह अपराधी जिसने अपराध किया है, मगर न बंदी बनाया गया और न न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
2. संदिग्ध अपराधी जिसको बंदी बनाया हो, मगर वास्तव में उसने अपराध नहीं किया हो।
3. जिसकी न्यायिक जांच हुई हो, मगर न्यायल से दोष सिद्ध नहीं होने पर मुक्त कर दिया गया हो।
4. दण्ड की अवधि समाप्त होने पर कारगृह से मुक्त कर दिया गया हो।

परिवारों के आधार**सदर लैण्ड**

1. निम्न श्रेणी के साधारण अपराधी साधारण परिवारों के।
2. श्वेत वस्त्रधारी अपराध संभ्रान्त परिवारों से।

अपराधियों के लक्षणों के आधार पर**डॉ. राम आहुजा**

1. प्रथम बार कानून को भंग करने वाले अपराधी।
2. आकस्मिक अपराधी जो कभी-कभी अपराध करते हैं।
3. अभ्यस्त अपराधी जो अपराध को आजीविका का साधन मानते हैं।
4. पेशेवर अपराधी जिनकी आजीविका का साधन नहीं अपराध होता है।
5. श्वेत वस्त्रधारी अपराधी (सफुदपोश अपराधी)।

अपराधिक व्यवहार के आधार पर**लिण्ड स्मिथ और डैन्हाम**

1. व्यक्तिवादी अपराधी जो अकेला कभी-कभी अपराध करता है।
2. सामाजिक अपराधी जो अभ्यस्त अपराधियों के सम्पर्क में आकर निरन्तर अपराध करता है।

परिस्थितियों के आधार पर**अलेक्जेंडर और स्टाव**

1. आकस्मिक अपराधी जो असाधारण परिस्थितियों के कारण कभी-कभी अपराध करता है,
2. दीर्घकाली अपराधी जो निरन्तर अपराध करता रहता है।

अपराधों की संख्या प्रकार व व्यक्तित्व के आधार पर**रूथ कैवन**

1. पेशेवर अपराधी।
2. अपराधी जो संगठित अपराध करते हैं।
3. अपराधी-संसार के अपराधी।
4. अभ्यस्त अपराधी।
5. द्वेष रहित अपराधी।

परिभाषीय माप एवं पृष्ठ भूमि पाम के आधार पर गिर्बस

1. परिभाषीय माप में 5 तत्व सम्मिलित हैं—
 - अ. अपराध की प्रकृति।
 - ब. अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क की वह स्थिति, जिसमें रहकर वह अपराध करता है।
 - स. अपराधी की स्वयं की प्रति धारणा।
 - द. समाज एवं पुलिस जैसी ऐजेंसियों के प्रति धारणा।
 - य. अपराध करने की पदगति।

2. पृष्ठभूमि माप में 4 तत्व सम्मिलित हैं—

- अ. सामाजिक वर्ग
- ब. पारिवारिक पृष्ठभूमि।
- स. मित्रों के साथ सम्पर्क।
- द. पुलिस, न्यायालय और कारागार जैसी एजेन्सी से सम्पर्क।

अपराधों के कारण

विश्व का कोई समाज ऐसा नहीं जो अपराधों से अछूता रहा हो। मनुष्य जीवन का एक पक्ष उसकी पाशविक प्रवृत्तियों का भी है जो कि विघटन, हत्या और हिंसा को जन्म देता है। एक बार अपराध करके छिपने की कोशिश में वह उसमें उलझ जाता है। समाजवादी कहना है कि शहरों में बढ़ी आबादी के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है। भौतिकतावादी कहना है, अपराधों संख्या तेजी से बढ़ रही है। अध्यात्मवादी भौतिकता को दोषी ठहराता है। मार्क्सवादी सारा दोष पूंजीवाद पर डालता है। एक राजनीतिक दूसरे राजनीतिक को आज की बढ़ती अपराधिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार मानता है। अपराध एक कानूनी शब्द है। कानूनी दृष्टि से आज जो आचरण अपराध है वह कल अपराध नहीं होगा। गर्भापात कल तक अपराध माना जाता था, पर आज वह अपराध नहीं है। समाज जब बहुत तेजी से बदलता है तब उसी तेजी से कानून का बदलना आसान नहीं होता किसी भी देश और काल में अपराध समाप्त करना तो संभव नहीं है, मगर अपराध के कारणों को समझकर अपराध वृद्धि को सीमित किया जा सकता है।

आर्थिक तत्व

अरस्तु के अनुसार धन की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। प्लेटो ने आर्थिक उत्पादकता को अपराध का महत्वपूर्ण कारण माना है। वैन्थम ने कहा कि— धन अधिकांश सुखों की धरोहर के रूप में कार्य करता है औद्योगिक और भौतिक विकास के कारण मनुष्य की रुचि ऐश्वर्य की तरफ बढ़ती है और उसकी पूर्ति के लिए वह अपराध करता रहता है। उत्पादन और विक्रय के खेल में भौतिक सुख प्राप्त करने की ऐसी खूब बढ़ गई है कि व्यक्ति विवश होकर अपराध की तरफ बढ़ता है। कार्लमार्क्स के विचार विपरीत हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा तो अपराध कम होंगे। आधे से अधिक अपराध निम्न वर्ग से आते हैं। इसलिए निर्धनता को अपराध का मुख्य कारण मानना होगा। सबके अलग-अलग विचार हैं पर यह तो सत्य है कि निर्धनता ही अपराध का मूल कारण है। बेरोजगार व्यक्ति भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, चोरी, लूट और डकैती जैसे अपराध करता है।

सामाजिक पर्यावरण

जन्म से हर प्राणी एक कोरे कागज की तरह होता है। इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जन्म से वह निरपराधी पैदा होता है पर सामाजिक परिस्थितियां उसे अपराध करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। व्यक्ति अपने वंशानुकूल गुणों के परिवेश में रहकर अनुकरण करता है। व्यक्ति को अच्छा-बुरा बनाने में काफी हद

तक सामाजिक वातावरण उत्तरदायी है। मनोवैज्ञानिकों ने बालक-बालिकाओं की 12 से 15 वर्ष की उम्र तक को इतनी लचीली अवस्था माना है कि उसे जिस तरह चाहें मोड़ सकते हैं। इस उम्र में उन्हें अपराध में अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता। समझदार माता-पिता बालक का मार्गदर्शन सही दिशा की तरफ करते हैं। तो वही एक सुयोग्य नागरिक बनता है। जहाँ माता-पिता में कलह हो या उनका उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता। जहाँ बालक की उपेक्षा की जाती हो, उस परिवार के बच्चे अपराधों की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों ने चरित्र निर्माण की दृष्टि से परिवार के बच्चे की प्रथम पाठशाला माना है। इसके अलावा आस पड़ोस और मोहल्लों वातावरण भी उसे प्रभावित है और समय के साथ बालक अपनी पहचान बना लेता है उस उम्र में विवेक नहीं होता है।

मानसिक तनाव

मानसिक तनाव में तीन बातों का प्रमुख स्थान है। जर, जोरू, और जमीन का। यह तनाव आज भी बुरी तरह समाज में व्याप्त है। टूटते परिवार, गृह कलह तथा गरीबी ही बाल अपराधों को जन्म देती है। कई बार आर्थिक रूप से तंग शराबी पिता अपने ही बच्चों की हत्या कर देता है। कई बार अतृप्त यौन प्रवृत्ति भी हत्या का कारण बन जाती है। आज की व्यस्त जिन्दगी में हर प्राणी तनाव महसूस करता है। यह तनाव भरी मानसिकता कभी कभी उसे अपराध करने को विवश कर देती है। अब यह तनाव शहर से गांव और गांव से कस्बों की तरफ फैल गया है।

भौगोलिक तत्व

कुछ विद्वानों के अनुसार अपराध जल, वायु, भूमि, तापमान और वर्षा के भौगोलिक प्रभावों के कारण होते हैं। 1850 में फ्रांसीसी विद्वान् क्वीटलेट ने कहा कि समुद्री किनारों या सीमान्त क्षेत्र की तुलना में अपराध दक्षिण में अधिक होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाते हैं और सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध उत्तर की तरफ अधिक होते हैं जो शीत ऋतु में बढ़ जाते हैं। अमरीकी विद्वान् डेक्स्टर ने 1904 में न्यूयार्क में अपराधों के अध्ययन में वायु मण्डलीय दबाव, ताप, नमी आदि तत्वों का प्रत्यक्ष प्रभाव पाया है। उनके अनुसार ज्यों-ज्यों नमी बढ़ती है त्यों-त्यों हिंसा सम्बन्धी अपराध बढ़ते हैं। भारत में सीमा शुल्क, मादक द्रव्य सम्बन्धी अपराध अधिक होते हैं। ठगी के धन्धे धार्मिक स्कूलों में अधिक होते हैं। डकैती, कत्ल आदि बीहड़ क्षेत्रों में होते हैं। वर्षा ऋतु में भूमि सम्बन्धी अपराध बढ़ जाते हैं। पर यह सर्वथा सत्य नहीं है। इसे एक सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अपराध को प्रभावित करती हैं।

अनुवांशिकता

अनुवांशिकता में सभी बौद्धिक तथा जैविक लक्षण सम्मिलित हैं, जिनको लेकर हर प्रणी इस संसार में जनम लेता है और पर्यावरण की अन्तर क्रिया से प्रभावित होकर अपना विकास करता है। व्यक्ति की प्रतिक्रिया में वातावरण-तत्व भी विशिष्ट भूमि निभाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक तथा पर्यावरण हैं। व्यक्ति के अपराधिक व्यवहार को उसी आधार पर समझा जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार अपराध एक जटिल व्यवहार है जो अनेक कारणों की अपज है। अपराधि व्यवहार में आनुवांशिकता, शारीरिक, आर्थिक या भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः जनसाधारण का सहयोग प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित है। यदि हम यह संकल्प कर लें कि अपराधियों का समूल नष्ट करना है और भारत को एक स्वच्छ, उज्ज्वल व कल्याणकारी भोर

प्रदान करनी है तो कोई कारण नहीं कि हम उसे अपने दृढ़-संकल्प-शक्ति, सजगता और प्रणशीलता से न कर पाएँ। कोई भी कार्य कदापि असंभव नहीं होता, चाहिए एक उत्साह, लगन और अपने लक्ष्य तक पहुँच पाने की लालसा।

संदर्भ

1. डा. बी. एम जैन, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स नीय दिल्ली, जयपुर
2. डा. ओमप्रकाश वर्मा, अपराधशास्त्र, ग्रन्थम राबाग, कानपूर
3. सी. बी. स्वर्णकार, दहेज प्रथा से उत्पन्न समस्याएँ सूचक प्रकशन, नई सड़क दिल्ली
4. जे. पी. नायक, भारत में महिलाओं की प्रस्थिति (राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप)
5. दैनिक स्वतन्त्र भारत
6. दैनिक अमर उजाला